(2)

टी०ए०मिस केस सं० 311/2019-20

दिनांक	आदेश	अभ्युक्ति
22-01-2020	अभिलेख उपस्थापित। आवेदिका श्रीमती सरोज सिंकु, पति-श्री विनय कुमार सिंकु, ग्राम-केन्दुपोसी, थाना-हाटगम्हरिया, जिला-पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा ने मौजा- हाटगम्हरिया, थाना-428, खाता नं०-121 एवं 122, प्लॉट नं०-1542 एवं 1543, रकवा-0.12 एकड़ एवं 0.08 एकड़ कुल रकवा-0.20 एकड़ भूमि क्रेता श्री कमल किशोर लागुरी, पिता-स्व० विक्रम लागुरी, ग्राम-बालान्डिया, थाना-हाटगम्हरिया के पास में बिक्री के द्वारा हस्तान्तरित करने की मांग की गई है। इस संबंध मे छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1) (ए) के अन्तर्गत इस न्यायालय से उपरोक्त प्लॉट की बिक्री हेतु आम सूचना निर्गत किया गया। अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया से जाँच प्रतिवेदन की माँग की गई, जो प्राप्त हुआ। विक्रेता के द्वारा भी इस संबंध में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत किया गया। दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवेदित भूमि आवेदिका के नाम से खरीदा हुआ है जिसका ना०मु०सं०-09/10-11 है। आवेदिका का आवेदित भूखंड पर शांतिपूर्वक दखल है। अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया का जाँच प्रतिवेदन पत्रांक-09, दिनांक 09.01.2020 द्वारा प्राप्त है एवं विक्रेता द्वारा प्रस्तुत आवश्यक दस्तावेजो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि परिवारिक चिकित्सा एवं अन्य कार्य हेतु रूपये की आवश्यकता होने के कारण भू-खण्ड को क्रेता श्री कमल किशोर लागुरी, पिता-स्व० विक्रम लागुरी, ग्राम-बालान्डिया, थाना-हाटगम्हरिया के पास 3,40,000.00/-(तीन लाख चालीस हजार) रूपये में बिक्री करना चाहते हैं। इस संबंध में किसी को किसी प्रकार का आपत्ति प्राप्त नहीं हुआ है। जाँच प्रतिवेदन से यह स्पष्ट होता है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों थाना हाटगम्हरिया के निवासी है। उक्त दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य हैं। ग्रामीण मुण्डा का बिक्री करने संबंधी अनुशंसा प्रतिवेदन प्राप्त है जो अभिलेख में संलग्न है। उपरोक्त प्लॉट की बिक्री के पश्चात् आवेदक के पास शेष 0.05 एकड़ भूमि से ज्यादा बचता है। आवेदक के पास भरण पोषण हेतु पैत्रिक भू-सम्पति पर्याप्त है। अतः संबंधित राजस्व कर्मचारी/अंचल निरीक्षक/अंचल अधिकारी, हाटगम्हरिया एवं ग्रामीण मुण्डा के अनुशंसा के आलोक में आवेदिका श्रीमति सरोज सिंकु, पति-श्री विनय कुमार सिंकु, ग्राम-केन्दुपोसी, थाना-हाटगम्हरिया, क्रेता श्री कमल किशोर लागुरी, पिता-स्व० विक्रम लागुरी, ग्राम-बालान्डिया, थाना-हाटगम्हरिया के पास 3,40,000.00/-(तीन लाख चालीस हजार) रूपये में मौजा-हाटगम्हरिया, थाना-428, खाता-121 एवं 122, प्लॉट-1542 एवं 1543, रकवा-0.12 एकड़ एवं 0.08 एकड़ कुल रकवा-0.20 एकड़ भूमि को बिक्री करने हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46(1)(ए) के अन्तर्गत बिक्री द्वारा हस्तांतरण करने की......अनुमति......दी जाती है। लेखापित। (ह०) 22/1 — भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर चाईबासा। (ह०) 22/01/2020 — भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सदर चाईबासा।	

Sunita:/T. A. M . all files

Scanned with CamScanner